

कार्यालय जिला कलक्टर (आपदा प्रबंधन एवं सहायता) प्रतापगढ़

Email:- dm-pra-rj@nic.in

Ph- 01478-223366

क्रमांक:- आ.प्र. एवं सहा./आ.बिजली/स्वीकृति/2021/1577-88

दिनांक: 05/07/2022

-: स्वीकृति आदेश :-

तहसील कार्यालय दलोट द्वारा उनके उपखण्ड/तहसील क्षेत्र में आकाशी बिजली गिरने से मानव क्षति पर शोकार्थ परिवार को आर्थिक सहायता हेतु निम्नांकित प्रकरण बाद अनुशंषा आर्थिक सहायता हेतु भिजवाया गया है।

अतः उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार अरनोद की अनुशंषा के आधार पर एवं भारत सरकार के संशोधित आदेश No. 32-7/2014- NDM-1 दिनांक 08.04.2015 के बिन्दु संख्या 06 (01) में वर्णित प्रावधानानुरूप पुलिस प्रथम सूचना रिपोर्ट(अप्राकृतिक मृत्यु पंजीकरण) एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं तहसीलदार पीपलोदा जिला रतलाम द्वारा प्राप्त अदेय प्रमाण पत्र अनुसार मृतक आश्रिता को उसके नाम के सम्मुख अंकित राशि बतौर आकाशी बिजली गिरने से मानव क्षति होने से SDRF नॉर्म्स अनुसार 4,00,000/- रुपये की आर्थिक सहायता एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है।

क्र. स.	पीड़ित का नाम व पता	दुर्घटना तिथि एवं विवरण	स्वीकृत राशि
01	श्रीमति अंगुरबाला पति राहुलनाथ निवासी नई आबादी सुजापुर तहसील पीपलोदा जिला रतलाम (म.प्र.)	दिनांक 26.09.21 को आकाशी बिजली गिरने से पति श्री राहुल पिता लालुनाथ की मृत्यु जिला प्रतापगढ़ के तहसील दलोट में होने पर	4,00,000 /-रु.
कुल योग			4,00,000 /-रु.

(अक्षरे चार लाख मात्र)

नोट:-

- राशि का आहरण निम्न लेखा मद से किया जायेगा:
2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, 01- सूखा,
800- अन्य व्यय, (03)- राहत कार्यों पर व्यय
(02)- अग्नि सहायता, 12- सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)
- राशि के आहरण एवं व्यय में आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों तथा इस कार्यालय से समय-2 पर जारी आदेशों/निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।
- आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं किया जावे।
- स्वीकृत राशि का भुगतान अविलम्ब किया जावे।


(सौरभ स्वामी)

जिला कलक्टर एवं प्रमुख,
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,
प्रतापगढ़

दिनांक: 05/07/2022

क्रमांक:- आ.प्र. एवं सहा./आ.बिजली/स्वीकृति/2021-22/1577-88

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- संयुक्त शासन सचिव महोदय, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राजस्थान जयपुर।
- वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राज. जयपुर।
- जिला कलक्टर, रतलाम।
- उपखण्ड अधिकारी अरनोद।
- परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, प्रतापगढ़।
- कोषाधिकारी प्रतापगढ़।
- तहसीलदार, दलोट/पीपलोदा जिला रतलाम।
- जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी प्रतापगढ़।
- लेखा अनुभाग, कार्यालय हाजा को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
- संबंधित श्रीमती अंगुरबाला पति राहुलनाथ निवासी नई आबादी सुजापुर तहसील पीपलोदा जिला रतलाम (म.प्र.)


अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं प्रभारी,
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,
प्रतापगढ़